गोपेश्वर

दिनांक १२-२-७५

आदरणीय श्री बीरेन्द्र कुमार जी,

सादर नमस्कार । आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न से होगें । मै १० फरवरी ७५ को प्रातः की बस से लौट गया था । इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई । डा० स्वामी नाथन्न जी से जब सितम्बर ७४ में भेट हुई थी उन्होंने इस क्षेत्र के संतरा, माल्टा के पेड़ों के लिए मिट्टी परीक्षण हेतु ~~कि~~ निवेदन ~~कि~~किया था । उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु आश्वासन दिया था, क्या मै इस सम्बन्ध में उनसे सीधा पत्र व्यवहार कर सकता हूं ?

आप विदेश यात्रा पर कब तक प्रस्थान कर रहे हैं ।

आपका

(signature)

(चण्डी प्रसाद ~~क~~भट्ट)

सेवा में,

श्री बीरेन्द्र कुमार जी, प्रोफेसर, बनस्पति विज्ञान,

दिल्ली कालेज, अजमेरी गेट, नई-दिल्ली ।

Phone : 83
Tel : Sarvodaya
Gopeshwar-Chamoli
(Uttarakhand)

दशोली ग्राम स्वराज्य संघ

DASHOLI GRAM SWARAJYA SANGH
(खादी-ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित)

फोन । ८३
तार : सर्वोदय
गोपेश्वर–चमोली
(उत्तराखण्ड)
PIN : 246401

चण्डी प्रसाद भट्ट,

दिनांक/Date २२–११–८०

आदरणीय डा० साहब,

इस पत्र के साथ आपकी सेवा में प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि भिजवा रहा हूं । अलकनन्दा और उसकी सहायक नदियों के संवेदनशील जलागम क्षेत्र में पड़ने वाले बदरी–केदार वन प्रभागों के संवर्धन व सुरक्षा में आपने सदा ही गहरी रुचि ली है ।

मुझे पूरी आशा है कि प्रधान मंत्री को लिखे गये इस पत्र के विषय में भी आप अपने स्तर पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे । ताकि इस संवेदनशील क्षेत्र में सरकार की शक्ति और जन शक्ति के सहयोग से व्यापक वनीकरण का कार्यक्रम चलाया जा सके ।

विनीत्

(चण्डी प्रसाद भट्ट)

संलग्न- प्रधानमंत्री को लिखा पत्र,
२६ फरवरी १९७१ के नेश०हेराल्ड लखनऊ संस्करण में छपे समाचार की प्रति,

सेवा में,
डा० बीरेन्द्र कुमार जी,
डा० जाकिरुहुसैन कालेज,
नई देहली ।

Phone : 83
Tel : Sarvodaya
Gopeshwar-Chamoli
(Uttarakhand)

दशोली ग्राम स्वराज्य संघ

DASHOLI GRAM SWARAJYA SANGH
(खादी-ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित)

फोन : ८३
तार : सर्वोदय
गोपेश्वर-चमोली
(उत्तराखण्ड)
PIN : 246401

दिनांक/Date दिसम्बर ८०

आदरणीय प्रधान मंत्री जी,

चण्डी प्रसाद भट्ट का प्रणाम स्वीकार करें। सुदूर हिमालय के संवेदनशील क्षेत्र में बसने और कुछ सामाजिक काम करने वाले हम लोग आपको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पर्यावरण की रक्षा, संवर्धन तथा वनवासियों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया है। इसी से उत्साहित होकर हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के एक अत्यन्त संवेदनशील भाग के संरक्षण के लिये खींचना चाहते हैं। इस क्षेत्र में वनों की रक्षा के लिये चलाये गये "चिपको" आन्दोलन तथा राज्य सरकार की समझदारी के मिले-जुले प्रयासों से लगभग १५,००० हेक्टेयर में वनों के व्यावसायिक व व्यापारिक कटान पर सन् १९७७ से १९८६ तक रोक लग चुकी है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र बदरीनाथ-केदारनाथ जन प्रभागों में गंगा की मुख्य धारा अलकनन्दा के जलागम का क्षेत्र है।

गांव के लोगों की जागृति से जन्मा चिपको आन्दोलन और उसके कारण उ०प्र० शासन द्वारा डा० वीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में गठित "रैणी चिपको आन्दोलन अध्ययन समिति" की संस्तुतियों तथा शासन की दूरदर्शिता से देश में पहली बार वनों के संरक्षण की दिशा में इतना बड़ा प्रतिबन्ध लग सका। यह हम सबके लिये सौभाग्य की बात है। पर अभी भी इस संवेदनशील क्षेत्र का थोड़ा सा भाग कटाई के लिये खुला है।

अलकनन्दा की सहायक नदियों का यह तीखा ढालदार जलागम बहुत ही संवेदनशील है। यह क्षेत्र प्रति वर्ष भूस्खलन तथा भूक्षरण को लगातार न्यौता देता रहता है। स्वयं सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में बसने वाले लगभग ४०० गांवों को इन सहायक नदियों तथा नालों से खतरा रहता है और इन गांवों के

क्रमशः-२।-

के खेत, मकान तथा गौशालायें कभी भूस्खलन का शिकार हो सकती है ।

लेकिन केवल स्थानीय खतरा ही नहीं है । इस क्षेत्र की संवेदनशीलता के दुष्परिणाम दूर नीचे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ सकता है । ऐसे दुष्प्रभाव का एक संकेत सन् १९७० में आयी अलकनन्दा की बाढ़ दे चुकी है । १९७० की इस बाढ़ का केन्द्र गरुड़गंगा तथा ऋषिगंगा के बीच फैला ६० किलो मीटर लम्बा क्षेत्र था, इस क्षेत्र का जलागम कुंआरी पर्वत है । उस दुर्भाग्यशाली दिन को नदी में बढ़ी गाद (सिल्ट) की मात्रा का बुरा असर स्थानीय क्षेत्रों और चमोली जिले की सीमाओं को तोड़ते हुए ३०० किलोमीटर दूर हरिद्वार तक पहुंचा था । हरिद्वार से ~~निकलने~~ निकलने वाली लगभग २०० फुट चौड़ी अपर गंगा नहर इस सिल्ट के कारण १० किलोमीटर तक रेत से भर गयी थी । इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के १ लाख ५० हजार हेक्टेयर क्षेत्र में महिनों तक सिंचाई नहीं हो ~~स~~पायी थी ।

आप जब पिछली बार अक्टूबर १९७९ में बद्रीनाथ जाते हुए गोपेश्वर आयी थी, तब हमारी संस्था " दशोली ग्राम स्वराज्य संघ" ने इस परिस्थिति से सम्बन्धित कुछ सामग्री आपको भेंट की थी ।

इस संवेदनशील क्षेत्र में १५,००० हेक्टेयर में वनों के कटान पर रोक लगाने से यहां के उजड़ते पहाड़ों को काफी हद तक आराम मिला है । इससे उत्साहित होकर हमारी छोटी सी संस्था दशोली ग्राम स्वराज्य संघ ने टंगसा ग्राम सेवा संस्थान जैसी अन्य सहयोगी संस्थाओं की मदद से यहां फिर से बड़े पैमाने पर पेड़, घास आदि लगाने का काम गांव के लोगों के सहयोग से उठाया है । इस काम में ~~अपने~~ शासन के सम्बन्धित विभाग भी सहयोग दे रहे हैं ।

लेकिन जैसा कि मै निवेदन कर चुका हूं । इस संवेदनशील भाग का कुछ भाग अभी भी कटान के लिये खुला है । आश्चर्य की बात तो यह भी है कि सन् १९७० की भयंकर बाढ़ को देखते हुए भारत सरकार ने चमोली जनपद में ~~अल~~- अलकनन्दा और ~~उस~~ उसकी समस्त सहायक नदियों के जलागम क्षेत्रों में वनों का कटान रोकने तथा तीव्रता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का आदेश दिया था । इस आशय का समाचार २६ फरवरी १९७१ को नेशनल हेराल्ड के लखनऊ संस्करण में प्रकाशित हुआ था । हम लोगों ने इस घोषणा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री को सन् ७४ में इस बात की बार-बार याद भी दिलायी थी । लेकिन न जाने क्यों यह आदेश पूरा नहीं किया जा सका । [illegible]

सन् ७३-७४ में चले आन्दोलन तथा उसकी मांगों की जांच के लिये गठित उपरोक्त वर्णित समिति की संस्तुतियों के कारण इस क्षेत्र के एक बड़े भाग में वनों का काटना रोका गया है। निवेदन है कि इस क्षेत्र के बचे हुए भाग में भी कटान रोका जाये तथा बदरी-केदार वन प्रभागों के अन्तर्गत आने वाले पूरे हिस्से को आराम दिया जाये।

मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि स्थानीय जन शक्ति और सरकारी जिम्मेदारी का यह दायरा अगर बढ़ सका और इन दोनों वन प्रभागों में स्थानीय वन वासियों के हक-हकूकों को और स्थानीय छोटे उद्योगों की जरूरतों को छोड़, यदि व्यावसायिक व व्यापारिक कटान पर रोक लगती है तो फिर हम सब छोटी-छोटी गैर सरकारी संस्थायें शासन के सहयोग से इस उजड़ते जा रहे इलाके को फिर से हरा-भरा बनाने के महत्वपूर्ण काम में जुट जायेंगे।

आपको यह बताते हुये हमें यह खुशी हो रही है कि आज इस प्रतिबन्ध के कारण भी इन दोनों वन प्रभागों में बसे गांवों में भूस्खलन, भूक्षरण के रोकने तथा सामाजिक वानिकी की दृष्टि से पेड़ लगाने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इसमें गांव की महिलायें, पुरुष, श्रीनगर विश्वविद्यालय के छात्र, महाविद्यालय से लेकर प्राइमरी स्कूल के छोटे-छोटे विद्यार्थी भी शामिल हो रहे हैं। इसलिये मैं एक बार आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वनवासियों के परम्परागत हक-हकूक तथा वनाधारित स्थानीय छोटे उद्योगों की जरूरत को छोड़ कर इस पूरे संवेदनशील क्षेत्र के वनों में व्यापारिक और व्यावसायिक कटान पर पूरी तरह से रोक लगाने की कृपा करें।

विनीत

(चण्डी प्रसाद भट्ट)

सेवा में,

माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी,
प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।